रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226348
CG-DL-E-01042021-226348

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943
No. 143] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

फा. सं. CEA-PS-11-21(21)/11/2020-PSPA-I Division.—जबकि मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग वन लिमिटेड (पूर्व नाम महोबा सोलर (यूपी) प्राईवेट लिमिटेड), आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णोदेवी सर्किल के पास, एस. जी. हाइवे, अहमदाबाद-382421, गुजरात में है, ने पारेषण योजना "जैसलमेर, राजस्थान में 390 MW हाइब्रिड विद्युत संयंत्र के लिए महोबा सोलर (यूपी) प्राईवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी योजना" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हैं:

(i) महोबा सोलर (यूपी) प्राईवेट लिमिटेड विद्युत परियोजना - फतेहगढ़-II PS 220 kV D/c लाइन (नॉमिनल वोल्टेज पर प्रत्येक सर्किट पर 300 MW ले जाने के लिए उपयुक्त), एमएसयूपीपीएल के जनरेशन स्विचयार्ड पर टर्मिनल बे के साथ*

*ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई लगभग 35.77 Km होगी और पूरी लाइन मल्टी सर्किट टावर्स पर निर्मित होगी।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part-1 दिनांक 28.08.2020 के द्वारा पारेषण योजना "जैसलमेर, राजस्थान में 390 MW हाइब्रिड विद्युत संयंत्र के लिए महोबा सोलर (यूपी) प्राईवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी योजना" के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन के लिए मैसर्स महोबा सोलर (यूपी) प्राईवेट लिमिटेड (जिसका नाम बदलकर अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग वन लिमिटेड किया गया है) को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था:

(i) महोबा सोलर (यूपी) प्राईवेट लिमिटेड विद्युत परियोजना - फतेहगढ़-II PS 220 kV D/c लाइन (नॉमिनल वोल्टेज पर प्रत्येक सर्किट पर 300 MW ले जाने के लिए उपयुक्त)*

*ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई लगभग 35.77 Km होगी और पूरी लाइन मल्टी सर्किट टावर्स पर निर्मित होगी।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "जैसलमेर, राजस्थान में 390 MW हाइब्रिड विद्युत संयंत्र के लिए महोबा सोलर (यूपी) प्राईवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी योजना" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

स्कीम के अंतर्गत ओवरहेड लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

जिला	तालुक	गाँव
जैसलमेर	फतेहगढ़	भीमसर, भोपा, रासला, अचला, नया अचला, मेहराजोत, सांवता, कराडा
जैसलमेर	पोकरण	लखासर, खूहड़ा, सदरासर, माधुपुरा, मदासर, चारणों की ढाणी, जेठमल की ढाणी, सनावड़ा, साकंडा, नेड़ान

मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग वन लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है । अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग वन लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक को "जैसलमेर, राजस्थान में 390 MW हाइब्रिड विद्युत संयंत्र के लिए महोबा सोलर (यूपी) प्राईवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी योजना" पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक सितम्बर 26- अक्टूबर 2, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित है।

(v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vii) मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग वन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

वी.के. मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन –III/4/असा./07/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 9th February, 2021

F. No. CEA-PS-11-21(21)/11/2020-PSPA-I Division.—whereas, M/s Adani Renewable Energy Holding One Limited (Formerly known as Mahoba Solar (UP) Private Limited), the applicant with its Registered office at Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishno Devi Circle, S G Highway, Khodiyar, Ahmedabad-382421 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Connectivity system to M/s Mahoba Solar (UP) Private Limited (MSUPPL) for 390 MW Hybrid power plant in Jaisalmer, Rajasthan" with the following scope of work:

(i) Mahoba Solar (UP) Private Limited Power project – Fatehgarh-II PS 220kV D/c line (suitable of carrying 300 MW on each circuit at nominal voltage) along with terminal bays at MSUPPL generation switchyard.*

* Length of the transmission line will be approximately 35.77 km. The entire line would be constructed on Multi circuit towers.

And whereas CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No.CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part-1 dated 28.08.2020 had granted prior approval under section 68 (1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Mahoba Solar (UP) Private Limited (MSUPPL) (whose name has been changed to Adani Renewable Energy Holding One Limited) for the following overhead line covered under the transmission scheme "Connectivity system to M/s Mahoba Solar (UP) Private Limited (MSUPPL) for 390 MW Hybrid power plant in Jaisalmer, Rajasthan":

(i) Mahoba Solar (UP) Private Limited Power project – Fatehgarh-II PS 220kV D/c line (suitable of carrying 300 MW on each circuit at nominal voltage) *

* Length of the transmission line will be approximately 35.77 km. The entire line would be constructed on Multi circuit towers.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system to M/s Mahoba Solar (UP) Private Limited (MSUPPL) for 390 MW Hybrid power plant in Jaisalmer, Rajasthan"

The overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

District	Tehsil	Name of Village
Jaisalmer	Fatehgarh	Bhimsar, Bhopa, Rasla, Achala, Naya achala, Mehrajot, Sanwata, Karara
Jaisalmer	Pokhran	Lakhasar, Khuhra, Sadrasar, Madhopura, Madasar, Charanon ki dhani, Jethmal ki dhani, Sanawara, Sankara, Neran

M/s Adani Renewable Energy Holding One Limited has complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Adani Renewable Energy Holding One Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission line, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of overhead line under the transmission scheme "Connectivity system to M/s Mahoba Solar (UP) Private Limited (MSUPPL) for 390 MW Hybrid

power plant in Jaisalmer, Rajasthan". The details of the works were published in the Gazette of India, dated Sep 26-Oct 2, 2020.

(v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government;

(vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vii) M/s Adani Renewable Energy Holding One Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

V.K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./07/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 23:06:20 +05'30'